न्यायालयः अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–3, अजमेर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – नीरज गुप्ता, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 247/2026,
सीआईएस नंबर– 247/2026

किशनलाल पुत्र श्री गोपीलाल, उम्र 47 वर्ष, निवासी रामपुरा पोस्ट काला तालाब, अराई जिला अजमेर (हाल बंदी केन्द्रीय कारागृह अजमेर)।

.......प्रार्थी/अभियुक्त

ब ना म

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, अजमेर।

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (मूल फौजदारी प्रकरण संख्या 639/2024 उनवानी अजमेर सहकारी भूमि विकास बैंक बनाम किशनलाल, न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या 03, अजमेर अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट

उपस्थित–

1. **श्री अशोक तिवारी,** विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

––आदेश––

दिनांक 07–03–2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त **किशनलाल** द्वारा धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर के समक्ष पेश किया गया, जिनके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र विधिवत सुनवाई एवं निस्तारणार्थ इस न्यायालय को अंतरित किये जाने पर इस न्यायालय में दर्ज किया गया। जमानत प्रार्थना पत्र की प्रति अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई तथा पत्रावली तलब की गई। इस आदेश के माध्यम से उक्त जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है। बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई।

2. दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/मुलजिम ने जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/मुलजिम के अनुपस्थित रहने से विचारण न्यायालय द्वारा उसके जमानत जब्त कर गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया गया था। जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 06–3–26 को पेश किया गया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर प्रार्थी/मुलजिम को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रार्थी/मुलजिम की मंशा गैर हाजिर रहने की नहीं थी, किन्तु प्रार्थी के अस्वस्थ हो जाने के कारण ही वह विगत पेशी पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। मूल प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की सम्भावना है। प्रार्थी/मुलजिम आईन्दा हर पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा। प्रार्थी/मुलजिम आदेशानुसार जमानत मुचलके प्रस्तुत करने को तैयार व तत्पर है। अतः प्रार्थी/मुलजिम को जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश प्रदान किया जाये।

3. इसके विपरीत विद्धान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध कर जमानत आवेदन खारिज किए जाने का निवेदन किया।

4. मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का आरोप है तथा वर्तमान में प्रकरण साक्ष्य परिवादी के प्रक्रम पर लम्बित है। प्रकरण में दिनांक 04–07–2024 को मुलजिम तथा उसके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने से विचारण न्यायालय द्वारा मुलिजम के जमानत मुचलके जब्त किये जाकर उसको गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया गया था। जिस पर प्रार्थी/मुलजिम के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 06–03–2026 को जमानत प्रार्थना पत्र पेश करने पर विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया गया। प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा जाहिर किया गया है कि वह अस्वथ्य होने के कारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया। वर्तमान में पत्रावली साक्ष्य परिवादी हेतु नियत है, प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की सम्भावना है।

5. अतः बाद गौर उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त को और अभिरक्षा में रखा जाना उचित ना पाते हुए जमानत का लाभ देना उचित पाता है।

–आदेश–

6. परिणामस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त किशनलाल पुत्र श्री गोपीलाल की ओर से प्रस्तुत हस्तगत जमानत आवेदन स्वीकार कर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विद्वान् विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये) का बंधपत्र और 25,000– 25,000/– की

Authenticated Document

दो मौतबीर जमानतें **(जिनमें एक जमानत स्थानीय होनी चाहिए)**निम्नांकित शर्तो सहित पेश कर तस्दीक करा देवे किः–

1. अभियुक्त दौराने विचारण प्रत्येक पेशी पर व न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर नियमित रूप से उपस्थित होगा।
2. अभियुक्त अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा
3. अभियुक्त प्रत्यक्षतः व अप्रत्यक्षतः प्रकरण के गवाहान को कोई उत्प्रेरणा या धमकी नहीं देगा, तथा
4. न्यायालय की अनुमति के बिना भारत नही छोड़ेगा,

तो उसे **मूल फौजदारी प्रकरण संख्या 639/2024 उनवानी अजमेर सहकारी भूमि विकास बैंक बनाम किशनलाल, न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या 03, अजमेर अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट** में जमानत पर रिहा कर दिया जावे। आदेश की प्रति सक्षम अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावे।

(नीरज गुप्ता)
अपर सेशन न्यायाधीश सं.3,
अजमेर

7. आदेश आज दिनांक 07–03–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीरज गुप्ता)
अपर सेशन न्यायाधीश सं.3,
अजमेर

IMRAN
Digitally signed by IMRAN
Date: 2026.03.07 17:05:15 +0530

Authenticated Document